

**केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर**  
**तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501**

क्रमांक: 6(204)एसपी/2009/खण्ड—द्वितीय/

दिनांक: 11.09.2014

**अल्पकालीन लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र सूची**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. भरे हुये निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि | : | दिनांक 25.09.2014 दोपहर बाद 1.00 बजे तक |
| 2. निविदा खोलने की अन्तिम तिथि                 | : | दिनांक 25.09.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से |
| 3. अमानत राशि                                  | : | 10000/- रुपये                           |
| 4. निविदा की मान्य अवधि                        | : | 120 दिन                                 |

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा	दर प्रति माह सभी करों एवं खर्चों सहित (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान में जलापूर्ति करने एवं इससे सम्बन्धित रख-रखाव करने से संबंधित कार्य का अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रैक्ट)	1 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 तक	Rs. _____ रुपये _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली हैं तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान में जलापूर्ति करने एवं इससे सम्बन्धित रख-रखाव करने से संबंधित कार्य** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रैक्ट/जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय-समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूँगा तथा मैं प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक —————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

**संस्थान में जलापूर्ति करने एवं इससे सम्बन्धित रख-रखाव करने से संबंधित कार्य अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रैक्ट) के आधार पर करने कि नियम व शर्तें**

1. निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेंगे (जो कि प्रपत्र सूची में दर्शाया गया है)। निविदा संस्थान के निदेशक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 25.09.2014 तक समय 1.00 बजे (दोपहर बाद) तक प्रस्तुत करना है। सशर्त, ईमेल द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं कि जावेगी। ठेकेदार के पास श्रम विभाग से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है अथवा पेन कार्ड तथा इसकी फोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर निविदा को स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। निविदाएँ उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएंगे।
2. ठेकेदार को निविदा के साथ 10,000.00 (दस हजार) रुपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आईसीएआर यूनिट सीएसडब्ल्यूआरआई अविकानगर, मालपुरा (ICAR Unit CSWRI, Avikanagar, Malpura) के नाम से देय जमा हो अमानत राशि के रूप में प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राशि के निविदा/कोटेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व नियमानुसार जमानत राशि 10 प्रतिशत जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यदेश जारी किया जावेगा।
3. निविदादाता को वाटर सप्लाई के लिये पम्प सेट चलाने व जलापूर्ति कार्य करने का कम से कम 2 से 3 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।
4. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। साथ ही जो निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समझा जावेगा।
5. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
6. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।
7. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
8. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चौर/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. अनुबन्धकर्ता को संस्थान में स्थापित ट्यूबवेलों में से 8 पम्प काम में लिये जा रहे हैं इन्हें रात दिन बिजली रहते चलाना होगा जिनका ब्यौरा निम्नांकित हैं:-
  1. 1 आवासीय कालोनी टाइप-III सिंगल स्टोरी के पास।
  2. 2 आवासीय कालोनी टाइप-IV डबल स्टोरी के सामने सेक्टर नं. 12 की सड़क के पास।
  3. 3 सेक्टर नं. 12 लेम्बिंग शेड के पीछे की तरफ।
  4. 4 व 5 सेक्टर नं. 12 के कोने पर स्थित है जहां से सेक्टर नं. 18 के लिये सड़क घूमती हैं।
  5. 6 सेक्टर नं.13 के ट्रान्सफार्मर से करीब 300 मीटर दूर खेत में स्थित हैं।
10. उक्त ट्यूबवेलों को रात दिन चलाकर 3(तीन) सम्पवेलों (अण्डर ग्राउण्ड स्टोरेज टैंक) जिनमें बुस्टर पम्प लगे हुये हैं, में इकट्ठे हुये पानी को ओवर हेड टैंकों में चढाकर जलापूर्ति करनी।
11. तीनों ओवरहेड टैंक सम्पवेलों के पास स्थित है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि बुस्टर पम्प से पानी ओवर हेड टैंक में जा रहा है या नहीं।
12. आवासीय कालोनी में स्थित ओवर हेड पानी की टंकी से सुबह 7.00 बजे से 8.45 तक व सांय 5 बजे से 6.15 तक सिंगल स्टोरी में जलापूर्ति करनी हैं। आवश्यकता होने पर दोपहर में भी पानी खुलवाया जा सकता है।
13. उक्त समयानुसार ही सेक्टर नं. 12 के कोने पर स्थित ओवर हेड टैंक से आवासीय कालोनी डबल स्टोरी में भी जलापूर्ति की जानी हैं।
14. खास अवसर पर प्रेशर चैक करने हेतु दो बार भी सप्लाई (जलापूर्ति) करवाई जा सकती हैं।
15. आवासीय कालोनी की पानी की टंकी के पास एक मुख्य वाल्व तथा तीन अन्य वाल्व लगे हैं, जिनसे जलापूर्ति करनी हैं तथा समय-2 पर इनकी गलेण्ड आदि भी चैक करते रहना अनिवार्य हैं।
16. ट्यूबवेल नं.17 जो सेक्टर नं.13 के ट्रान्सफार्मर से 300 मीटर दूरी पर है, को चलाकर सेक्टर नं.13 में जलापूर्ति करने के साथ-2 सड़क के पास लगे दो बाल्वों को आपरेट करते हुये सेक्टर नं. 13 पर स्थित डिपिंग टैंक को भरना है। यह सप्लाई सुबह 7 बजे से 7.30 तक तथा सांय 5 बजे से 5.30 बजे तक की जानी हैं। तथा ट्यूबवेल नं. 17 नही चलने की स्थित में सेक्टर नं. 12 के कोने पर स्थित सम्पवेल पर लगे बुस्टर पम्प को चलाकर, वहां पर लगे 2 बाल्वों को आपरेट करते हुये सेक्टर नं. 13 को सुबह 7 बजे से 7.30 तक तथा सांय 5 बजे से 5.30 बजे तक जलापूर्ति करनी हैं।
17. लेम्बिंग शेड के पीछे सेक्टर नं 12 के बाडे पर स्थित ट्यूबवेल जिसे ई.टी.ओ. 4 के नाम से जाना जाता है, के पम्प को चलाकर पास में ही बनी टंकी को भरना है तथा सुनिश्चित करना है कि मेन गेट पर पानी पहुच गया है या नहीं।
18. लाइब्रेरी विल्डींग के पीछे स्थित अण्डर ग्राउण्ड स्टोरेज टैंक पर लगे हुये बुस्टर पम्प को चलाकर मुख्य कार्यालय, एन.पी.बी. बिल्डींग व लाइब्रेरी विल्डींग पर रखी टंकियों को पानी से भरना है तथा सुनिश्चित करना है कि इन बिल्डींगों को कार्यालय समय में पानी मिलता रहें। उक्त अण्डर ग्राउण्ड स्टोरेज टैंक को भरने के लिये प्लांट के पास वाली टंकी से वाल्व खोलकर पानी लाना है तथा दुसरे विकल्प के लिये इस टैंक के पास ही कॉलोनी से एक अन्य पाइप लाईन आ रही है, को इस्तेमाल करना हैं।
19. प्लांट के पास ओवर हेड टंकी को कार्यालय व प्लांट खुलने से पहले (9 बजे सुबह तक) ही भरनी हैं। इस टंकी को भरने के लिये कॉलोनी वाली टंकी से वाल्वों द्वारा पानी लाना हैं।
20. प्लांट के पास वाली टंकी से सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक तथा दोपहर बाद 3.00 बजे से 3.30 बजे तक प्लांट, केन्टीन ब्लॉक, वर्कशॉप, कच्चा बन्धा सेक्टर, मीट साइन्स, केन्द्रीय विद्यालय, गेस्ट हाउस, पी.जी. होस्टल आदि स्थानों में जलापूर्ति करनी हैं। इन स्थानों की जलापूर्ति हेतु प्लांट के पास स्थित 7 वाल्वों को आपरेट कर जलापूर्ति लगातार करनी होगी।
21. ट्रेनिज के आने पर पी.जी. होस्टल को सुबह 7.00 से 8.00 बजे तक दोपहर में 1.00 बजेसे 2.00 बजे तक और सांय 6 से 7 बजे तक जलापूर्ति करनी होगी तथा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त समय पर में भी पानी की आपूर्ति करनी होगी। पी.जी. होस्टल को प्लांट की टंकी से डायरेक्ट सप्लाई हेतु लिंक कर रखा है। इस लिंक वाल्व को इस प्रकार से सेट करना है कि अन्य मुख्य वाल्वों के बन्द रहने पर भी पी. जी. होस्टल को पानी मिलता रहे।

22. उक्त के अनुसार ही गेस्ट हाउस में गेस्ट आने पर सुबह 7.00 से 8.00 बजे तक दोपहर में 1.00 बजे से 2.00 बजे तक और सांय 6 से 7 बजे तक जलापूर्ति करनी होगी।
23. वर्कशॉप के पास शोड में एक्सपरिमेन्ट की भेड़ों को सुबह 7 बजे से 7.30 बजे तक दोपहर बाद 3.00 से 3.30 बजे तक पानी देना है।
24. सेक्टर नं० 9 मुख्य सप्लाई लाईन से जुड़ा है, जब-2 भी कॉलोनी को जलापूर्ति की जाती है तब-2 सेक्टर नं. 9 को पानी मिलेगा इसमें कही भी अवरोध नहीं आने के लिये बाल्व को रोज चेक करते रहना होगा।
25. अनुबन्धकर्ता को संस्थान में स्थापित 11 ट्यूबवेलों (जलापूर्ति एवं कृषि कार्य) का संचालन करना होगा तथा भविष्य में इनकी संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है, अतः उनका संचालन भी अनुबन्धकर्ता को ही करना होगा तथा इसके लिये उन्हें अलग से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
26. अनुबन्धकर्ता को ई.टी.ओ. 11 की सड़क पर स्थित ट्यूबवेल के पीछे (100 मीटर दूरी) नवस्थापित ट्यूबवेल को संचालन करना।
27. सेक्टर न. 13 पर नवस्थापित 2 ट्यूबवेल का संचालन करना।
28. नई फिजोलोजी बिल्डिंग के पास स्थित बिसलपुर समटेक व बूस्टर पम्प का संचालन करना।
29. संस्थान के सभी सेक्टर पर समयानुसार जलापूर्ति करना।
30. अनुबन्धकर्ता को संस्थान के सभी कार्यालय, विभाग, अनुभाग, प्लान्ट, कैंटीन, गैस्टहाउस, पी.जी. हॉस्टल, मांस विज्ञान, केन्द्रीय विद्यालय, कच्चा बन्धा सेक्टर, वर्कशाप, सेक्टर नं. 9 पर बने नव निर्मित किसान घर, नवनर्मित बाल उद्यान आदि में जलापूर्ति का करना होगा।
31. कॉलोनी एरिया में समयानुसार सुबह शाम जलापूर्ति करनी होगी।
32. अनुबन्धकर्ता को सभी पाइप लाईनो, वाल्वों, पानी की टंकीयों की साफ-सफाई व उचित देखभाल करनी होगी।
33. अनुबन्धकर्ता को संस्थान के कृषि कार्य व जलापूर्ति कार्यों में प्रयुक्त हो रहे सबमर्सिबल पम्प सेट के जलने/खराब होने की दशा में उन्हें बाहर निकालना व नई सबमर्सिबल पम्प सेट को डालकर जलापूर्ति को बहाल करना होगा।
34. पम्पों पर बिजली आपूर्ति नहीं होने या फाल्ट होन पर संस्थान में स्थित के.लो.नि.वि. (विद्युत) के ठेकेदार के कार्यरत श्रमिकों से ठीक करवाना।
35. किसी कारण से पानी की मोटर खराब होने या पेनल बोर्ड में खराबी आने पर तुरन्त प्रभारी विद्युत को सूचित करना।
36. अनुबन्धकर्ता को ओवरहेड टैंकों पर लगे हुये इण्टीकेटर्स को सही रखना होगा।
37. अनुबन्धकर्ता को जलापूर्ति के वाल्वों की होदियों व उसके आस-पास की सफाई रखना।
38. अनुबन्धकर्ता को ट्यूबवेलों व पम्प हाउस पर लगे सभी सामानों की सुरक्षा करनी होगी।
39. अनुबन्धकर्ता को राउण्ड द क्लोक आवश्यकतानुसार जलापूर्ति करनी होगी।
40. ई.टी.ओ. 6 के पास, कालोनी के पास तथा प्लॉट के पास स्थित ओवर हेड टैंकों की दो माह में सफाई करनी होगी तथा सफाई की तिथि से 6 माह में दुबारा सफाई करनी होगी तथा इसी प्रकार 3 सम्पवेलो (अण्डरग्राउण्ड टैंक) की भी दो माह में सफाई करनी होगी तथा दुसरी सफाई 6 माह में साफ करना होगा।
41. सम्पवेलो (अण्डरग्राउण्ड टैंक) में हर माह के द्वितीय शनिवार को उचित अनुपात में लाल दवा (पोटेशियम परमेगनेट) डालनी होगी जिसके लिये प्रभारी उपकरण/विद्युत अनुभाग या उनके प्रतिनिधियों व प्रभारी, मानव चिकित्सालय या उनके प्रतिनिधि से दिशानिर्देश प्राप्त करने होंगे।
42. ट्यूबवेलों को सम्भालने के लिये श्रमिकों को संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा और न ही सर्दी या वर्षा में प्रोटैक्टिव क्लथ उपलब्ध नहीं करवाये जावेंगे। साधन स्वयं ठेकेदार को करना होगा। उक्त के साथ-2 टार्च, सेल व वर्दी आदि की व्यवस्था भी स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
43. जलापूर्ति के सभी ट्यूबवेलों/पम्पों तथा बूस्टर पम्पों पर लॉगबुक होगी जिससे भरना होगा। लॉगबुक में गलत जानकारी या भ्रमित करने वाली जानकारी पाई गई तो उचित कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
44. उक्त कार्य के लिये ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का समय पर प्रबन्ध नहीं होने पर उस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के वेतन/मजदूरी का भुगतान ठेकेदार को करना होगा यदि संस्थान द्वारा नियमित कर्मचारी/मजदूर लगाया जाता है तो उस कर्मचारी/मजदूर के उस दिन का वेतन के बराबर राशि की कटौती भी ठेकेदार के देय बिल में से काट ली जायेगी।
45. आपात् स्थिति में ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मियों को अन्य कार्यों में भी लगाया जा सकता है जिसका अलग से कोई बिल देय नहीं होगा।
46. संस्थान में आई.जी.एफ.आर.आई. ऑफिस के पास सड़क पर स्थित स्ट्रीट लाईट स्वीच को और लाईब्रेरी बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे के पास स्थित स्वीच और पोस्ट ऑफिस व कैंटीन में मध्य में स्थित ई.टी.ओ.2 में लगे स्वीच को और पी.जी. हॉस्टल के दरवाजे के पास सड़क पर पोल पर लगे स्वीच को सुबह व शाम प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग द्वारा आदेशित समयानुसार चालू व बन्द करना होगा।
47. ठेकेदार द्वारा उनके प्रतिनिधियों को वर्दी/जूते/नाम पट्टिका आदि पहनाना होगा।
48. जलापूर्ति से संबंधित बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग को प्रति माह बिल (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान मासिक आधार पर नियमित समय पर किया जाएगा।
49. सफल ठेकेदार स्वयं की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वयं रोजाना प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग से सम्पर्क करेंगे तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा-निर्देशानुसार सुचारू-रूप से करते रहेंगे ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता है।
50. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
51. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPE/PE/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
52. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जज राशि की भी कटौती की जावेगी।
53. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
54. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाइल

नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

55. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
56. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
57. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
58. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
59. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
60. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
61. सफल ठेकेदार को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
62. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
63. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली हैं तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान में जलापूर्ति करने एवं इससे सम्बन्धित रख-रखाव करने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं.

- संलग्नक : 1. श्रम विभाग से पंजीकृत होने कि प्रतिलिपि।  
2. पेन कार्ड की प्रतिलिपि।  
3. 10,000/- रुपये का डिमान्ड ड्राफ्ट।  
4. अनुभव प्रमाण पत्र।